

5/9/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील सुधीर जफ।
प्रस्तुत पत्र पर अनुसार अक्षय के अथवा
इस प्रकार है कि इस न्यायालय के प्रकरण
76/17 में 188, 209 में धारणीगण को
स्थान विधायता जारी कर हायपरिगिण को
पाठ्य किया जा चुका है फिर भी धारणीगण
उक्त वादप्रस्त केराली में प्रवेश कर
धारणीगण को शान्तिपूर्वक कार्रवाई के दरम्यान
कार्रवाई कर रहे हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

कर नौलिस जारी किये जाकर ताकिल
 करवाई गई। कृषापीगण कावजु ताकिल
 होने के एक पक्षीय कार्यवाही केमल के
 लोड जाकर एक पक्षीय कहुस सुनी गयी।
 पुस्तुत प्राण व व सुनी गई कहुस केमल
 पर पुन सिद्धत तव व पत्रवानी के
 ध्यानपूर्वक कवकोक व कहुसक किया गया।
 पत्रवानी के पुषीगण द्वारा किमी की
 प्रकार के यह साकि करने के केमल
 रहे हैं कि कृषापीगण कि प्रकार से उनके
 ही कार्य के देखनांदापी कर के स्थान
 केमल का डालेक कर रहे हैं के ही
 के प्रकार का कोई लय, गवाह, देहापके
 साथ पुषीगण द्वारा पुस्तुत किया गया
 फिसले उनके कथन के मुलिक किमली में
 डत: पत्रिका पर खरीक किया जाकर
 किमलेशुफार किया जाकर नम्बर के
 के किमल जाया है। कालेश काय केके
 के नरे द्वारा पुन केमल के सुनाया
 गया।



[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 घाटोल